[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में प्रकाशनार्थ]

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 7 जून 2013

फा0सं0 4/15015/30/2011.........(अ).--खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 का संशोधन करने के लिए कतिपय विनिमय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ट) के साथ पठित धारा 23 के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की अधिसूचना फाइल संख्या 4/15015/30/2011 तारीख 29 दिसंबर, 2011 में प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनका उससे प्रभावित होने की संभावना है, से उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपतत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, से दस दिन की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां 2 जनवरी, 2012 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ,

और केन्द्रीय सरकार द्वारा जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ट) के साथ पठित धारा (23) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

विनिमय

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगें।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम 2.2 में,- लेबलिंग से संबंधित,-

क. उपविनियम 2.2.1 में, खंड 6 के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(7) प्रमुख प्रदर्श पेनल पर अनुज्ञप्ति संख्या निम्नलिखित रुप विधान में प्रदर्शित होगी, अर्थात् :--

fssai
FSSL 10000000000000

परंतु किसी इकाई के विधमान उत्पाद, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2013 के प्रवृत होने पर और उसके छः मास के पश्चात्, इस खंड की अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे ।

[फा0सं0 4/15015/30/2011]

(के. चंद्रमौली)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं0 फा0सं02-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।